Need to increase the amount of pension under National Social Assistance Programme-Laid

श्री नरेश गणपत म्हस्के **(ठाणे) :** राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत केंद्र सरकार द्वारा गरीबों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है । इस योजना में ₹200 से ₹500 तक मासिक पेंशन दी जाती है, जो बेहद अपर्याप्त है । हैरानी की बात है कि इस सहायता राशि में अंतिम वृद्धि वर्ष 2012 में की गई थी, तब से लेकर आज तक महँगाई कई गुना बढ़ चुकी है ।इस बीच, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अलग से कुछ अतिरिक्त आर्थिक मदद अवश्य दी जाती है, लेकिन वह हर जगह समान नहीं है, और ज़्यादातर मामलों में कुल राशि अभी भी पर्याप्त नहीं है ।इस संबंध में पूर्व में कई विशेषज्ञ समितियों जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय की डिपार्टमेंटल रिपोर्ट (2021), नीति आयोग (2020), सुमित बोस कमेटी (2016) और नीति आयोग (2020) ने भी स्पष्ट तौर पर पेंशन राशि में वृद्धि की सिफारिश की है ।देश के गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांगजन व असहाय लोगों के सम्मानजनक जीवन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इस सहायता राशि को बढ़ाकर कम से कम ₹2000 प्रति माह किया जाए ।साथ ही, सरकार से आग्रह है कि महँगाई की दर के अनुरूप प्रत्येक वर्ष पेंशन राशि में बढ़ोतरी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए ।